

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2024
2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0242 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 29/10/2024 19:08 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(e)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
4	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 27/06/2006 Date To (दिनांक तक): 19/03/2019
Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 10:00 बजे Time To (समय तक): 16:45 बजे
(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 29/10/2024 Time (समय): 16:00 बजे
(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय): 29/10/2024 19:08:08 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): WEST, 3.3 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): D-BLOCK, RIHAYSHI FLAT,PANCHVI MANJIL, SUKHSAGAR APARTMENT, DISTRICT BIKANER

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Anand Mishra

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 08/02/1985 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	Ward 16 Srikanpur, Srikanpur, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, 335073, INDIA
2	स्थायी पता	Ward 16 Srikanpur, Srikanpur, GANGA NAGAR, RAJASTHAN, 335073, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars

(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NATWAR LAL PAREEK		पिता:ARJUN LAL	1. D BLOCK,PANCHVI MANJIL,SUKHSAGAR APARTMENT,BIKANER,RAJAST

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)

(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नली करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		6,43,896.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 6,43,896.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय, निवेदन है कि दिनांक 19.03.2019 को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज. जयपुर की ओर से ट्रेप कार्यवाही विरुद्ध श्री नटवर लाल पारीक, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर की जाकर ब्यूरो में प्रकरण सं 69/2019 दर्ज किया गया था। ट्रेप कार्यवाही पश्चात् आरोपी के रिहायशी फ्लैट, डी-ब्लॉक, पांचवी मंजिल सुखसागर अपार्टमेंट, बीकानेर की खाना तलाशी दिनांक 19.03.2019 को श्री शिवरतन गोदारा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चौकी बीकानेर द्वारा ली गई थी। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी श्री नटवर लाल पारीक की माताजी स्व. श्रीमती कौशल्या देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पाबू बारी, बीकानेर में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (राजकीय सेवा) पद पर थी, जिनकी दिनांक 02.09.2005 को आकस्मिक मृत्यु होने पर आरोपी श्री नटवर लाल पारीक की अनुकंपा नियुक्ति से राजकीय सेवा में कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिनांक 27.03.2006 को हुई थी। आरोपी का वर्तमान पदस्थापन कार्यालय प्रधानाचार्य, पी.एम. श्री राजकीय सादुल उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर में है। आरोपी के निवास स्थान की खाना तलाशी के दौरान पाई गई नगद राशि 134200 रूपये तथा परिसंपत्तियों का अनुमानित मूल्य 293780 रूपये होना पाया गया, जिनका कुल मूल्य 427980 रूपये माना जाकर आरोपी के व्यय पक्ष में शामिल किया गया। खाना तलाशी के दौरान प्राप्त मूल बैयनामा उप पंजीयक बहक प्रिया पारीक भूखण्ड संख्या सी-68/1 वाके विष्णु नगर ग्राम चकगर्बी बीकानेर प्राप्त हुआ था, जिसमें आरोपी द्वारा अपनी पत्नी प्रिया पारीक के नाम से भूखण्ड संख्या सी-68/1 वाके विष्णु नगर ग्राम चकगर्बी बीकानेर में खरीदा था, जिसकी मालियत 158804 रूपये, इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी व अन्य शुल्क 8890 रूपये व्यय हुआ था। इस प्रकार भूखण्ड क्रय करने में व्यय राशि कुल 167694 रूपये होने पर आरोपी के व्यय पक्ष में शामिल की गयी। खाना तलाशी के दौरान मिले एक विक्रय पत्र उप कोषाधिकारी सांगानेर, उप पंजीयक सांगानेर (द्वितीय) के यहां पंजीकृत दिनांक 21.01.2013 बहक श्रीमती प्रिया पारीक भूखण्ड संख्या बी-31, सालासर रेजिडेन्सी योजना, सीमलिया रोड, वाटिका, टोंक रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर का प्राप्त हुआ है, जिसकी मालियत 87840 रूपये, इसके अलावा पंजीयन व अन्य शुल्क 5052 रूपये व्यय हुआ था, इस प्रकार भू-खण्ड क्रय करने में व्यय राशि 92892 रूपये होने पर आरोपी के व्यय पक्ष में शामिल की गयी। आरोपी श्री नटवर लाल पारीक के नाम से एक बजाज आलियांज पॉलिसी नम्बर 0097914744 में ट्रेप दिनांक तक आरोपी द्वारा जमा करवाई गई कुल राशि 20000 रूपये होना पाया गया। आरोपी श्री नटवर लाल पारीक के नाम से एक बिरला सन लाईफ पॉलिसी नम्बर 006713776 में ट्रेप दिनांक तक आरोपी द्वारा जमा करवाई गई कुल राशि 39964 रूपये होना पाया गया। आरोपी श्री नटवर लाल पारीक के नाम से एचडीएफसी म्यूचल फण्ड फोलियो नम्बर 12881325/49 में ट्रेप दिनांक तक आरोपी द्वारा जमा करवाई गई कुल राशि 51000 होना पाया गया। आरोपी श्री नटवर लाल पारीक के नाम से रिलायन्स म्यूचल फण्ड (निप्पोन लाईफ इण्डिया म्यूचल फण्ड) फोलियो नम्बर 401182200497 में ट्रेप दिनांक तक आरोपी द्वारा जमा करवाई गई कुल राशि 32000 होना पाया गया। आरोपी के लड़के सुजल पारीक के नाम से एक एलआईसी पॉलिसी नम्बर 504301850 में आरोपी द्वारा जमा राशि 10056 रूपये होना पाया गया। आरोपी की लड़की सिमरन पारीक के नाम से एक एलआईसी पॉलिसी नम्बर 504301843 में आरोपी द्वारा जमा राशि 8450 रूपये होना पाया गया। आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50291014927 में ट्रेप दिनांक तक अंतिम बैलेंस 58128 रूपये होना पाया गया। आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 013550100026358 में ट्रेप दिनांक तक अंतिम बैलेंस 4823 रूपये होना पाया गया। आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के दुकान प्रिया सप्लायर के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 01350200001279 में ट्रेप दिनांक तक अंतिम बैलेंस 1069 रूपये होना पाया गया। आरोपी श्री नटवर लाल पारीक के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 4947000400001676 में ट्रेप दिनांक तक अंतिम बैलेंस 31425 रूपये होना पाया गया। आरोपी द्वारा वर्ष 2018 में अपनी पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के नाम से एक्सचेंज में 45000 रूपये व्यय कर खरीदी गई स्कूटी होंडा ग्रेजिया नम्बर आरजे 07 सीएस 3400 की एक वर्ष की बीमा राशि 1300 रूपये होना अपने स्पष्टीकरण में दर्ज करवाया है, इस प्रकार आरोपी द्वारा उक्त स्कूटी पर कुल 46300 रूपये व्यय होना पाये जाने पर उक्त राशि व्यय पक्ष में शामिल की गई। आरोपी द्वारा वर्ष 2015 में अपनी पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के नाम से गाड़ी हुन्डई आई 20 नम्बर आरजे 07 सीसी 3400 क्रय की गई थी, जिसका रजिस्ट्रेशन दिनांक 09.10.2015 को हुआ था। आरोपी द्वारा इस संबंध में

स्पष्टीकरण में अवगत करवाया कि मैंने यह कार खरीदने हेतु 50000 रुपये अग्रिम राशि दी थी तथा 11724 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 07 वर्ष (84 किश्त) के लिये लोन लिया था, जिसके आधार पर आरोपी द्वारा ट्रेप दिनांक तक 42 किश्तों के हिसाब से 492408 रुपये बैंक में जमा करवाये जा चुके हैं। इसके अलावा आरोपी की कार के 03 वर्ष के कार बीमा के रूप में अनुमानित कुल 37000 रुपये व्यय राशि होना स्पष्टीकरण में बताया है। अतः आरोपी द्वारा उक्त कार की किश्तों व अग्रिम राशि, कार बीमा व्यय के रूप में कुल राशि 579408 रुपये व्यय किया जाना पाया गया, जिसे व्यय पक्ष में शामिल किया गया। आरोपी श्री नटवर लाल पारीक से संबंधित जांच के दौरान प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर बैंक अवधि दिनांक 27.06.2006 से 19.03.2019 तक प्राप्त शुद्ध वेतन की कुल राशि 1532899 रुपये पाई गई, जो कि आय पक्ष में शामिल की गई। आरोपी श्री नटवरलाल पारीक को उपरोक्त बैंक अवधि में सकल वेतन 1746332 रुपये प्राप्त हुआ, जिसमें से 1/3 राशि 582111 रुपये असत्यापनीय व्यय होना पाया गया। आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक की वर्ष 2016-17 से 17-18 तक फर्म मैसर्स प्रिया सप्लायर्स से आहरित (Drawing) राशि कुल 192000/- (12000072000) रु. को आरोपी के आय पक्ष में लिया गया। जांच के दौरान प्राप्त किए गए आरोपी श्री नटवरलाल के एसबीआई बैंक खाता सं. 61001247240 के स्टेटमेंट के अनुसार आरोपी श्री नटवरलाल की माताजी के मृत्यु परिलाभ के रूप में 1. उपार्जित अवकाश राशि 31040/- रुपये, 2. दो दिवस का वेतन राशि 413/- रुपये, 3. राज्य बीमा खाता सं. 591660 की राशि 120083/- रुपये 4. रा.बी. प्रा.नि. खाता सं. 622972 की राशि 41702/- रुपये 5. ग्रेच्यूटी राशि 66912/- रुपये 6. अन्य परिलाभ राशि 6490/- रुपये प्राप्त हुई थी। इस प्रकार आरोपी श्री नटवरलाल की माताजी के कुल मृत्यु परिलाभ के रूप में राशि (3104041312008341702669126490) कुल 2,66,640/- रुपये प्राप्त होना सत्यापित हुआ जो कि आरोपी के आय पक्ष में शामिल किया गया। समूह दुर्घटना बीमा संबंधी राशि के बारे में मालूमात करने पर वर्ष 2005 में दुर्घटना बीमा संबंधी राज्य सरकार की ओर से स्थायी रूप से 2.00 लाख रुपये राशि निर्धारित होना ज्ञात हुआ है। यद्यपि प्रकरण पुराना होने के कारण आरोपी को दुर्घटना बीमा राशि प्राप्त होने का कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है परंतु फिर भी उक्त राशि 2.00 लाख रुपये आरोपी के आय पक्ष में लिया गया। आरोपी द्वारा अपने स्पष्टीकरण में माताजी की मृत्यु परिलाभ राशि 5,96,702/- रुपये व आरोपी की माताजी द्वारा बचत करके आरोपी के नाना के पास रखे हुए बचत के रूपों सहित कुल 8,11,000 रुपये आरोपी के ससुर श्री बुलाकीदास एवं मामा श्री सुरेश के माध्यम से वर्ष 2010 व 2016 में जरिये रसीद आरोपी व आरोपी की पत्नी को मिलना बताया था। जांच में प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर आरोपी के आय पक्ष में उसकी माताजी के मृत्यु परिलाभ राशि 2,66,640/- रुपये तथा समूह दुर्घटना बीमा राशि 2,00,000/- रुपये कुल 4,66,640/- रुपये को शामिल किया गया है। आरोपी द्वारा दर्ज करवाई गई माताजी की बचत आदि संबंधी अन्य नगद राशि प्राप्त होने के तथ्यों को उचित न मानकर आरोपी के आय पक्ष में शामिल नहीं किया जा रहा है। आरोपी के लड़के सुजल पारीक के कक्षा के.जी. वर्ष 2008-09 से कक्षा 08 वर्ष 2018-19 तक शिक्षा पर खर्च राशि 233595 रुपये व्यय पक्ष में शामिल की गई। आरोपी की लड़की सिमरन पारीक के प्राप्त रिकार्ड के अनुसार कक्षा 03 वर्ष 2009-10 से कक्षा 08 वर्ष 2014-15 तक विद्यालय शिक्षा पर खर्च राशि 74400 रुपये व सिंथेसिस कोचिंग क्लास से प्राप्त रिकार्ड के अनुसार वर्ष 2015 से 2019 तक का खर्च 29740 रुपये तथा कक्षा 01 व कक्षा 02 का अनुमानित विद्यालय शिक्षा व्यय कुल 8400 रुपये होना पाया गया। आरोपी द्वारा अपनी पुत्री सिमरन पारीक की कक्षा 09 से 12 की फीस के संबंध में चायनान पब्लिक सीनियर सैकेन्डरी स्कूल का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जिसके अनुसार सिमरन पारीक की उक्त अवधि की शिक्षा निःशुल्क होनी पायी गयी है। इस प्रकार सिमरन पारीक की कक्षा 01 से 12 तक की विद्यालय शिक्षा तथा कोचिंग शुल्क मिलाकर कुल व्यय 112540 रुपये होना पाया गया, जो कि आरोपी के व्यय पक्ष में शामिल किया गया। खाना तलाशी के दौरान आरोपी की पत्नी द्वारा बताये अनुसार आरोपी व उसका परिवार साढ़े तीन साल से किराये के फ्लेट में रह रहा था, जिसका मासिक किराया 8000 रुपये के हिसाब से 336000 रुपये आरोपी के व्यय पक्ष में शामिल किया गया। आरोपी व आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के नाम से इलाहाबाद बैंक शाखा केईएम रोड बीकानेर स्थित लॉकर संख्या 480 की तलाशी में लॉकर खाली होना पाया गया। अब तक जांच से आरोपी की राजकीय सेवाकाल संबंधी आय व व्यय का विवरण प्रपत्र "अ", "ब", "स", "द" में निम्न प्रकार से होना पाया गया- प्रपत्र "अ" दिनांक 27.06.2006 से पूर्व अर्जित परिसम्पत्तियों का विवरण - क्र. सं. परिसंपत्ति का विवरण खरीदने की दिनांक/वर्ष किसके नाम खरीदी गई/ एस.ओ. से सम्बन्ध परिसम्पत्ति का मूल्य (रुपयों में) वर्तमान में परिसम्पत्ति के उपलब्ध होने का विवरण 1 बैंक अवधि से पूर्व अर्जित परिसंपत्तियों का कुल मूल्य प्रपत्र "ब" दिनांक 19.03.2019 को पाई गई परिसम्पत्तियों का विवरण - क्र. सं. परिसंपत्ति का विवरण खरीदने की दिनांक/वर्ष किसके नाम खरीदी गई/ एस.ओ. से सम्बन्ध परिसम्पत्ति का मूल्य (रुपयों में) 1. आवास की खाना तलाशी के दौरान मिली कुल नगद राशि 134200 रुपये तथा परिसम्पत्तियों की अनुमानित कीमत 293780 रुपये की पायी गयी, जिनकी कुल कीमत राशि ट्रेप दिनांक को आरोपी स्वयं 427980 2. आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के नाम से भूखण्ड संख्या सी-68/1 वाके विष्णु नगर ग्राम चकगर्बी बीकानेर की क्रय राशि 15.02.2013 आरोपी की पत्नी प्रिया पारीक 167694 3. आरोपी की श्रीमती प्रिया पारीक के नाम से भूखण्ड संख्या बी-31, सालासर रेजिडेन्सी योजना, सीमलिया रोड, वाटिका, टोंक रोड, तहसील सांगानेर, जयपुर की क्रय राशि 21.01.2013 आरोपी की पत्नी प्रिया पारीक 92892 4. आरोपी श्री नटवर लाल पारीक के नाम से एक बजाज

आलियांज पॉलिसी नम्बर 0097914744 जमा कुल राशि 28.04.2008 स्वयं 20000 5. आरोपी श्री नटवर लाल पारीक के नाम से एक बिरला सन लाईफ पॉलिसी नम्बर 006713776 में जमा कुल राशि 31.03.2015 स्वयं 39964 6. आरोपी श्री नटवर लाल पारीक के नाम से एचडीएफसी म्यूचल फण्ड फोलियो नम्बर 12881325/49 में जमा करवाई गई कुल राशि 13.11.2017 स्वयं 51000 7. आरोपी श्री नटवर लाल पारीक के नाम से रिलायन्स म्यूचल फण्ड (निपो) फोलियो नम्बर 401182200497 में जमा करवाई गई कुल राशि - स्वयं 32000 8. आरोपी के लड़के सुजल पारीक के नाम से एक एलआईसी पॉलिसी नम्बर 504301850 में जमा राशि 28.05.2015 लड़का सुजल 10056 9. आरोपी की लड़की सिमरन पारीक के नाम से एक एलआईसी पॉलिसी नम्बर 504301843 में जमा राशि 28.06.2015 लड़की सिमरन 8450 10. आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के इलाहाबाद बैंक खाता संख्या 50291014927 में ट्रेप दिनांक तक अंतिम बैलेंस ट्रेप दिनांक को पत्नी 58128 11. आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 013550100026358 में ट्रेप दिनांक तक अंतिम बैलेंस ट्रेप दिनांक को पत्नी 4823 12. आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के दुकान प्रिया सप्लायर के नाम पर बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 01350200001279 में ट्रेप दिनांक तक अंतिम बैलेंस ट्रेप दिनांक को पत्नी 1069 13. आरोपी श्री नटवर लाल पारीक के पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 4947000400001676 में ट्रेप दिनांक तक अंतिम बैलेंस ट्रेप दिनांक को स्वयं 31425 14. आरोपी द्वारा वर्ष 2018 में अपनी पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के नाम से एक्सचेंज में खरीदी गई स्कूटी होन्डा ग्राजिया नम्बर आरजे 07 सीएस 3400 की क्रय राशि व बीमा राशि वर्ष 2018 पत्नी 46300 15. आरोपी द्वारा वर्ष 2015 में अपनी पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के नाम से खरीदी गई गाड़ी हुन्डई आई 20 नम्बर आरजे 07 सीसी 3400 की क्रय व बीमा राशि वर्ष 2015 पत्नी 579408 16. आरोपी व आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के नाम से इलाहाबाद बैंक शाखा केईएम रोड बीकानेर स्थित लॉकर संख्या 480 की तलाशी में लॉकर खाली होना पाया गया ट्रेप दिनांक को आरोपी स्वयं व उसकी पत्नी 0 17. आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक के नाम से एचडीएफसी बैंक शाखा सी-स्कीम जयपुर स्थित बैंक खाता संख्या 00541050294302 बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार बंद होना पाया गया ट्रेप दिनांक को पत्नी 0 18. आरोपी श्री नटवरलाल पारीक के नाम बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक श्रीडूंगरगढ़ के खाता सं 8859 बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25.08.2017 से बंद होना पाया गया ट्रेप दिनांक को स्वयं 0 ट्रेप दिनांक को पाई गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य राशि 1571189 प्रपत्र "स" दिनांक 27.06.2006 से दिनांक 19.03.2019 तक एस.ओ. व उसकी पत्नी की आय क्र. सं. आय का शीर्षक विवरण आय प्राप्त होने की दिनांक/वर्ष /अवधि किसके द्वारा अर्जित की गई/ एस.ओ. से सम्बन्ध शुद्ध आय की राशि (रुपयों में) 1. आरोपी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 27.06.2006 से 19.03.2019 तक वेतन भत्तों से प्राप्त राशि चैक अवधि दिनांक 27.06.06 से 19.03.19 तक आरोपी द्वारा 1532899 2. आरोपी की पत्नी श्रीमती प्रिया पारीक की वर्ष 2016-17 से 17-18 तक फर्म मैसर्स प्रिया सप्लायर्स से आहरित (Drawing) राशि (12000072000) रू वर्ष 2013-14 से 2017-18 तक आरोपी की पत्नी 192000 3. आरोपी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों व प्राप्त रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी की माताजी की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके मृत्यु परिलाभ में उपाजित अवकाश राशि, दो दिवस का वेतन, राज्य बीमा निधि, जीपीएफ, ग्रैच्युटी राशि व अन्य राशि (31040413120083 41702669126490) कुल 2,66,640/- रुपये वर्ष 2010 व 2016 में आरोपी व आरोपी की पत्नी 266640 4. आरोपी को समूह दुर्घटना बीमा राशि से प्राप्त राशि 2,00,000 रुपये जो कि आरोपी के मामा व ससुर द्वारा वर्ष 2010 व 2016 में आरोपी को दी गई वर्ष 2010 व 2016 में आरोपी व आरोपी की पत्नी 200000 कुल वैध आय 2191539 प्रपत्र "द" दिनांक 27.06.2006 से दिनांक 19.03.2019 तक की अवधि में एस.ओ. उसकी पत्नी व बच्चों पर किये गये खर्चों का विवरण- क्र. सं. खर्च का शीर्षक विवरण खर्च करने की दिनांक अवधि किसके द्वारा खर्च किया गया। खर्च की राशि (रुपयों में) 1. आरोपी को वेतन भत्तों से सकल आय 1746332/-रुपये हुई है, उक्त सकल आय का 1/3 असत्यापनीय व्यय चैक अवधि दिनांक 27.06.2006 से 19.03.2019 तक - 582111 2. आरोपी के लड़के सुजल पारीक की कक्षा के.जी. वर्ष 2008-09 से कक्षा 08 वर्ष 2018-19 तक शिक्षा पर खर्च राशि वर्ष 2008-09 से ट्रेप दिनांक तक आरोपी का लड़के सुजल 233595 3. आरोपी की लड़की सिमरन पारीक की कक्षा 01 से 12 तक की विद्यालय शिक्षा तथा कोचिंग शुल्क मिलाकर कुल व्यय वर्ष 2007-08 से ट्रेप दिनांक आरोपी की लड़की सिमरन 112540 4. खाना तलाशी के दौरान आरोपी की पत्नी द्वारा बताये अनुसार आरोपी साढ़े तीन साल से किराये के फ्लेट में रह रहा था, जिसका मासिक किराया 8000 रुपये के हिसाब से फ्लेट किराया राशि सितम्बर 2015 से ट्रेप दिनांक तक - 336000 योग 1264246 इस प्रकार आरोपित के द्वारा अपने चैक अवधि दिनांक 27.06.2006 से 19.03.2019 में प्राप्त वैध आय, अर्जित परिसंपत्तियां तथा किए गए व्यय का विवरण निम्न प्रकार है - क्रम संख्या वैध आय तथा परिसंपत्ति-व्यय का विवरण राशि (क) चैक अवधि से पूर्व खरीद की गई/अर्जित की गई परिसंपत्तियों का कुल मूल्य (स्टेटमेन्ट 'अ' का योग) (ख) चैक अवधि के अन्त में मौजूद परिसंपत्तियों का मूल्य (स्टेटमेन्ट 'ब' का योग) 1571189 (ग) चैक अवधि के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों का मूल्य (ख-क) 1571189 (घ) चैक अवधि के दौरान प्राप्त शुद्ध आय की कुल राशि (स्टेटमेन्ट 'स' का योग) 2191539 (ङ) चैक अवधि के दौरान खर्च किये गये कुल खर्च की राशि (स्टेटमेन्ट 'द' का योग) 1264246 (च) चैक अवधि के दौरान अर्जित कुल परिसंपत्ति एवम व्यय (गङ) 2835435 (छ) आय से अधिक सम्पत्ति की राशि (च-घ) ()

643896 इस प्रकार जांच से आरोपी श्री नटवर लाल पारीक, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) बीकानेर की चैक अवधि 27.06.2006 से 19.03.2019 में वैध आय की तुलना में आरोपी द्वारा परिसम्पत्तियों एवं अन्य व्यय पर किये गये खर्च की राशि 643896 रुपये अधिक पाई गई है जो कि 29.38 प्रतिशत अधिक है। अतः आरोपी श्री नटवर लाल पारीक, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक शिक्षा) बीकानेर के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 13(1)(ई), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते पंजीयन एवं क्रमांकन श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें प्रेषित है। (आनन्द मिश्रा) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो बीकानेर.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री आनन्द मिश्रा, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(ई), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 13(1)(बी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नटवर लाल पारीक पुत्र अर्जुन लाल जाति ब्राह्मण, उम्र 47 वर्ष निवासी ब्लॉक-डी, पांचवी मंजिल, सुखसागर अपार्टमेंट तत्कालीन कनिष्ठ सहायक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर वर्तमान निवासी-पारीक चैक, नयाशहर, बीकानेर वर्तमान पदस्थापन-कार्यालय प्रधानाचार्य, पी.एम. श्री राजकीय सादुल उच्च माध्यमिक विद्यालय, बीकानेर के विरुद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री आशीष कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर एस.यू., बीकानेर को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 955पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1312-15 दिनांक 29-10-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर। 2-जिला शिक्षा अधिकारी-मुख्यालय, माध्यमिक, बीकानेर। 3- उप महानिरीक्षक पुलिस-तृतीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.):

ashish kumar

Rank

अपर पुलिस अधीक्षक

(जाँच अधिकारी का नाम):

(पद):

No(सं.):

to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to

(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना):

District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.


(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh
Choudhary
Location: Rajasthan, IN
Date: 26/10/2024 19:10:36



15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	12/06/1975				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दौत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्ता)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)